न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 100/2015

उनवान

शोजी पुत्र भागू जाति गुर्जर निवासी ग्राम दिलवाडी, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. श्रवण पुत्र नानू,
2. प्रहलाद पुत्र सोनी,
3. हरचन्द,
4. सन्जू पि0 किशनलाल,
5. कमला पत्नी किशनलाल समस्त जाति गुर्जर नि. दिलवाडी, नसीराबाद,
6. उप पंजीयक, नसीराबाद,
7. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :— 1 से 5 अनुपस्थित
6 व 7 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राज0 काश्त0 अधि0 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 15/04/24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडी में वादी का पुश्तैनी खातेदारी/काश्तकारी की भूमि है जिसका विविरण निम्न प्रकार है :—

चौसाला ख0न0	वंर्किग ख0न0	रकबा	हाल ख0न0	रकबा
199	226	0—12—10	333/1950	0.05
			332/1951	0.05

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:19:49 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त आराजी चैसाला खसरा नम्बर 199 रकबा [illegible] 0 चौसाला जमांबदी संवत 2014—17 में शोजी पुत्र भागू खातेदार दर्ज है। वादी [illegible] आराजी पर काबिज काश्त चला आ रहा है। आराजी मुतनाजा के वंकिंग [illegible] 10 हाल खसरा नम्बर 333/1950 रकबा 0.05, 332/[illegible] जमाबंदी व हाल खसरा नम्बर में वादी के नाम खातेदारी दर्ज करने के बजाय बंदोब[illegible] विभाग व राजस्व कार्मि[illegible]

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

द्वारा अपने हक व अधिकार से परे जाते हुये त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम अंकित कर दी। जिस कारण प्रतिवादीगण आराजी मुतनाजा पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा चौसाला जमाबंदी सवंत 2018 से 2021 व 2022 से 2025 पेश नही की है। वंर्किग जमावंदी व हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा अन्य व्यक्तियों के नाम दर्ज है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ये वाद सिद्व नही होता है। अतः वाद खारिज योग्य है।

वाद पत्र व जवाब के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया आराजी मुतनाजा साबिक राजस्व अभिलेख में वादी के नाम खातेदारी दर्ज है ?
   -- वादी

2. आया आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण होने से दुरूस्ती योग्य है ?
   -- वादी

3. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये व साक्ष्य पेश नही करने के कारण साक्ष्य वादी बंद की गयी। राज0 पैरोकार ने भी प्रकरण में साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 :-

वादी द्वारा प्रस्तुत चौसाला जमाबंदी संवत 2014-17 के अनुसार चौसाला खसरा नम्बर 199 रकबा 52-13-10 शोजी पुत्र भागू खुदकाश्त व भैरू पुत्र धन्ना मौरूसी काश्तकार के रूप में दर्ज है। वादी द्वारा अपने वाद में चौसाला खसरा नम्बर 199 रकबा 52-13-10 के स्थान पर मात्र 0-12-10 का विवरण अंकित किया है। शेष रकबे की वंर्किग व हाल खसरा नम्बर की स्थिति वादी द्वारा स्पष्ट नही की है। साथ ही वादी द्वारा चौसाला जमाबंदी संवत 2014-17 के बाद की चौसाला जमाबंदी सवंत 2018-21 व 2022-25 पेश नही की है। आराजी मुतनाजा की उक्त चौसाला जमाबंदी के अभाव में वंर्किग जमाबंदी के इन्द्राज को त्रुटिपूर्ण नही कहा जा सकता है। चौसाला जमाबंदी में मौरूसी काश्तकार के रूप में दर्ज भैरू पुत्र धन्ना/वारिस को प्रकरण में पक्षकार भी मुर्तिब नही किया गया है। राज0 पैरोकार द्वारा भी वाद के तथ्यों का खण्डन किया है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में समुचित अवसर देने के उपरान्त भी साक्ष्य पेश नही की है। तनकी संख्या 1 विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 2 :-

राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी द्वारा चौसाला जमाबंदी सवंत 2018-21 व 2022-2[illegible] वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा अन्य व्यक्तियों के नाम [illegible] वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज ये वाद सिद्व नही होता है। अतः वाद ख[illegible] पेश होने के बाद भी वादी द्वारा सम्पूर्ण साबिक राजस्व अभिलेख [illegible] समर्थन में साक्ष्य पेश की है। वंर्किग जमाबंदी व हाल राजस्व अभिलेख [illegible] आराजी प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादी द्वारा चौसाला जमाबंदी संवत 2014-17 व [illegible]ग जमाबंदी के बीच का राजस्व

--3

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:19:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

अभिलेख पेश नही किया है। जिस कारण हाल इन्द्राज को त्रुटिपूर्ण नही कहा जा सकता है। वादी द्वारा सम्पूर्ण रकबे की स्थिति भी स्पष्ट नही की है। वादी द्वारा पेश दस्तावेज से वाद के कथनों की ताईद नही होती है। तनकी संख्या 2 विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

अतः ग्राम दिलवाडी के हाल खसरा नम्बर 333/1950 रकबा 0.05, 332/1951 रकबा 0.05 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:19:49 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

शोजी बनाम श्रवण

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 100/2015
पेश करने की दिनांक – 04.09.2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम दिलवाडी के हाल खसरा नम्बर 333/1950 रकबा 0.05, 332/1951 रकबा 0.05 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 15 माह 04 सन् 2024 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.01 17:19:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद